राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(311) ग्रावि/ग्रुप–5/MIS/NEFT/2016–17 दिनांक 06 जुलाई, 2017

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद् (ग्राविप्र) समस्त,
राजस्थान।

विषय :– आवास योजना के केन्द्रीकृत खाते (बैंक ऑफ बडौदा) में 01 जून, 2017 से 30 जून, 2017 तक FTO के माध्यम से हस्तान्तरित राशि में से वापस जमा राशि के क्रम में।

महोदय,

वर्ष 2015–16 में स्वीकृत इन्दिरा आवास योजना के लाभार्थियों एवं 01 अप्रेल, 2016 से सभी प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण तथा इन्दिरा आवास योजना के लाभार्थियों को उनको देय अनुदान किश्तों की राशि का हस्तान्तरण FTO के माध्यम से PFMS प्रणाली से किया जा रहा है। दिनांक 01 जून, 2017 से 30 जून, 2017 तक लाभार्थियों को हस्तान्तरित राशि में से विभिन्न कारणों से बैंक में वापस जमा राशि की सूचना पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित है। Narration में केवल अकाउंट नम्बर अंकित है और लाभार्थी का नाम नहीं है ऐसे लाभार्थियों के खाते बैंक ऑफ बडौदा की किसी बान्च में है।

कृपया संलग्न सूची में नाम वाले लाभार्थी को यदि अभी तक पुनः राशि FTO के माध्यम से हस्तान्तरित नहीं की गई हो तो राशि हस्तान्तरण की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि विभिन्न स्तरों से लाभार्थियों/योजना का कार्य देख रहे कार्मिकों को अवगत करावें कि लाभार्थी का खाता यदि ऋण खाता है या निष्क्रिय है तो FTO के माध्यम से हस्तान्तरित राशि उनके खाते में जमा नहीं हो सकेगी।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(पृष्ठ 1 से 78 तक दिनांक 01–15 जून, 2017) एवं
(पृष्ठ 1 से 104 तक दिनांक 16–30 जून, 2017)

भवदीय

(के. के. शर्मा)
अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
2. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव (मो एवं मू), ग्रावि को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड करवाने हेतु।
3. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त।

अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)